रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 641] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1984/पौष 8, 1906
No. 641] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 29, 1984/PAUSA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1984

का.आ. 979 (अ) :—जबकि केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखण्ड (1) दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 की सा. का. नि. 723(अ) संख्यक अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा उन परम्परागत कलाओं, हस्तशिल्पों, रत्नों और आभूषणों से संबंधित मानवीय कलाकृतियों को, जिन्हें बहुमूल्य कलाकृति के रूप में घोषित किए जाने का प्रस्ताव है, उनके कलात्मक और सौंदर्यपरक मूल्य पर विचार करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति (एतद् पश्चात् "उक्त समिति" के नाम से संदर्भित) का गठन किया है ;

जबकि उक्त समिति का कार्यकाल, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (2) दिनांक 3 दिसम्बर, 1983 में प्रकाशित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना सं. का. आ. 883 (अ) दिनांक 3 दिसम्बर, 1983 द्वारा 30 दिसम्बर, 1983 से एक वर्ष और बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त समिति का कार्यकाल 29 दिसम्बर, 1984 को समाप्त होने जा रहा है ;

अब, अतः केन्द्रीय सरकार पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के साथ पठित पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1973 के नियम 2 (क) के अनुसरण में उक्त समिति के कार्यकाल को एतद्द्वारा 30 दिसम्बर, 1984 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[सं. 1/23/76-पुरा.]

डा. एम. एस. नागराज राव, महानिदेशक

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1984

S.O. 979(E).—Whereas the Central Government has constituted a Committee for considering and submitting a report on the artistic and aesthetic value of human works of art relating to traditional arts, crafts, gens and jewellery proposed to be declared as art treasures (hereinafter referred to as "the said Committee) by the notification of the Archaeological Survey of India No. G.S.R. 723(E), dated the 30th December, 1980, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), datedd the 30th December, 1980.

Whereas the term of the said Committee was extended for one year more from the 30th December, 1983 by the notification of the Archaeological Survey of India No. S.O. 883(E), dated the 3rd December, 1983, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd December, 1983;

And whereas the term of the said Committee is due to expire on the 29th December, 1984;

Now, therefore, in pursuance of rule 2A of the Antiquities and Art Treasures Rules, 1973, read with clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972), the Central Government hereby further extends the term of the said Committee by a further period of one year with effect from the 30th December, 1984.

[No. 1|23|76-ANT]

Dr. M. S. NAGARAJA RAO, Director General

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985